

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 807/2012

सरदार मल यादव

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री विनोद शर्मा जरिये
श्री सारांश सैनी

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, एजीसी
श्री जगदीश नारायण मीणा (प्रभारी
अधिकारी), डीईओ, प्रा. जयपुर-।
श्री राम सिंह यादव, प्रभारी अधिकारी,
डीईओ, प्रा., कोटपूतली
श्री एन.एल. कटारिया, जांच अधिकारी,
सीबीईओ, दूदू
श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान,
प्रधानाचार्य संबंधित स्कूल, पीईईओ,
टसकोला पाओटा

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

07/02/2025

रिपोर्ट योग्य

1. यह वर्तमान मामला राज्य की संस्थाओं की घोर लापरवाही का एक ज्वलंत उदाहरण है। याचिकाकर्ता-अपचारी कर्मचारी को वर्ष 2011 में ही आरोप-पत्र दिया गया था और उक्त आरोप-पत्र से उत्पन्न कार्यवाही काफी समय बीत जाने के बावजूद भी संपन्न नहीं की गई, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
 2. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता 31.01.2025 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है।
 3. न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर, राज्य के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि दिनांक 09.11.2011 के आरोप-पत्र से संबंधित जांच 04.03.2014 को ही पूरी हो गई थी, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
 4. यह काफी चौंकाने वाली स्थिति है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने वर्ष 2014 में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद अंतिम आदेश पारित करे, लेकिन यहां वर्तमान मामले में, 12 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
 5. प्रेम नाथ बाली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य, एआईआर 2016 एससी 101 में रिपोर्टेड मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि
-

वह दोषी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को प्राथमिकता के उपाय अपनाकर जल्द से जल्द संपन्न करना सुनिश्चित करे। उन मामलों में जहां दोषी कर्मचारी को ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबन के अधीन रखा जाता है, तब यह नियोक्ता के लिए और भी अनिवार्य हो जाता है कि वह दोषी कर्मचारी के अधिकारों को किसी भी असुविधा, हानि और पूर्वाग्रह से बचाने के लिए जांच को जल्द से जल्द संपन्न करना सुनिश्चित करे।

6. वास्तव में, इस न्यायालय ने बार-बार यह अनुभव किया है कि जांच पूरी होने के बाद, उसमें शामिल मुद्दा समाप्त नहीं होता है क्योंकि यदि जांच कार्यवाही के निष्कर्ष दोषी कर्मचारी के खिलाफ गए हैं, तो वह अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए अनिवार्य रूप से न्यायालय में इस मुद्दे को उठाता है, जिसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में फिर से समय लगता है।

7. इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि प्रत्येक नियोक्ता (चाहे राज्य हो या निजी) को दोषी कर्मचारी के खिलाफ एक बार शुरू की गई विभागीय जांच कार्यवाही को प्राथमिकता देकर उचित समय के भीतर संपन्न करने का ईमानदार प्रयास करना चाहिए और जहां तक संभव हो इसे छह महीने की बाह्य सीमा के भीतर संपन्न किया जाना चाहिए। जहां कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले कुछ अपरिहार्य कारणों से नियोक्ता के लिए समय सीमा के भीतर इसे समाप्त करना संभव नहीं है, तो कारण और जांच की प्रकृति के आधार पर, इसे उचित रूप से विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर यह देखा है कि मामलों के प्रभारी अधिकारी उन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो इस न्यायालय के

समक्ष लंबे समय से लंबित हैं। राजस्थान विधि और विधिक कार्य विभाग मैनुअल, 1999 तैयार किया गया है जो प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसका नियम 233 प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"233. प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य।- प्रभारी अधिकारी:-

- (1) मामले के तथ्यों की ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक हो;
- (2) सभी प्रासंगिक फाइलें, नियम, अधिसूचनाएं, आदेश और दस्तावेज एकत्र करेगा;
- (3) वाद/याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं का पैरावार जवाब देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगा जो राज्य के अधिवक्ता के लिए सहायक होने की संभावना है;
- (4) उक्त रिपोर्ट और सामग्री के साथ राजकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा;
- (5) राज्य के अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए लिखित कथन/जवाब पर विधिवत हस्ताक्षर करवाएगा और इसे संबंधित विभाग या मुकदमा नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, से अनुमोदित करवाएगा, और इसे संबंधित न्यायालय में दायर करवाएगा;
- (6) मामले की तैयारी और संचालन में राज्य के अधिवक्ता की सहायता करेगा और हमेशा मामले में नियत तारीख, उसकी स्थिति और प्रगति से खुद को अवगत रखेगा;
- (7) जब भी कोई आदेश/निर्णय, विशेष रूप से सरकार के खिलाफ पारित किया जाता है, तो संबंधित विभाग को सूचित करेगा; और
- (8) जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण का आदेश प्राप्त होता है, वह तुरंत विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक

विभाग को उन मामले/मामलों के बारे में एक अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से सूचित करेगा, जिनमें उसे प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि उसकी नियुक्ति नाम से है, तो वह पद का प्रभार सौंपने के बाद भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि किसी अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, और यदि प्रभारी अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति पदनाम से है, तो अपने स्थानांतरण पर वह संबंधित फाइल और रिकॉर्ड अपने पद पर उत्तराधिकारी को सौंप देगा।"

9. प्रभारी अधिकारी उपरोक्त अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कई मामलों में, वे सरकारी अधिवक्ताओं को काफी लंबे समय तक न तो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं और न ही प्रासंगिक दस्तावेज और यही कारण है कि राज्य के अधिवक्ता जवाब और अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए बार-बार समय मांग रहे हैं।

10. इस तरह के मामलों में प्रभारी अधिकारियों की जवाबदेही का सवाल गंभीर हो गया है। सभी राज्य-विभागों के लिए यह उचित और उच्च समय है कि वे सभी मामलों के प्रभारी अधिकारियों को नियम 233 के अनुसार उनके कर्तव्यों का अक्षरशः और पूरी निष्ठा से पालन करने का निर्देश दें। यदि किसी विशेष विभाग का प्रभारी अधिकारी मामलों से अधिक बोझिल है, तो मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

11. इस न्यायालय के समक्ष, अधिकतम लंबित मुकदमों में सरकार एक पक्षकार है। अपने विशाल तंत्र के साथ, सरकार विभिन्न स्थितियों का समाधान खोजने के लिए सुसज्जित है। यह एक सामान्य वादी की तुलना में अधिक अलाभकारी स्थिति में नहीं है। विधि अधिकारियों और प्रभारी

अधिकारियों को निष्क्रिय रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मामलों के समय पर निपटारे में बाधा डालने वाली किसी भी देरी की रणनीति का हिस्सा न हों। सभी हितधारकों के लाभ के लिए पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। सरकार, एक शक्तिशाली इकाई होने के नाते, नैतिक मानकों को बनाए रखने, न्यायालयों के समक्ष मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।

12. इस न्यायालय को यह टिप्पणी करते हुए पीड़ा होती है कि अधिकांश मामलों के प्रभारी अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में पर्याप्त सहायता नहीं कर रहे हैं। वे लापरवाही भरे तरीके से अदालती कार्यवाही में बार-बार अत्यधिक समय ले रहे हैं, और सरकारी अधिवक्ताओं को उचित समर्थन प्रदान करने में विफल हो रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण, न्यायालय मामलों में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिवक्ता अक्सर अतिरिक्त निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालयों से अनुरोध करते हैं, जिससे कार्यवाही बार-बार एक तारीख से दूसरी तारीख तक स्थगित होती है। ऐसी परिस्थितियों में, पक्षकारों के अपने मामलों का शीघ्र निपटारा कराने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

13. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख को या उससे पहले एक शपथ-पत्र दायर कर इस न्यायालय को सख्त दिशानिर्देश तैयार करके व्यवस्था में सुधार के संबंध में अवगत कराएं और सभी राज्य-विभागों के सभी मामलों के प्रभारी अधिकारियों को भविष्य में इस न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामलों, जिनमें राज्य सरकार एक पक्षकार है, के संबंध में

सावधान रहने का निर्देश दें। उन्हें आगे निर्देश दिया जाता है कि वे सभी विभागों को विभागीय जांच को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दें।

14. महाधिवक्ता और साथ ही प्रमुख विधि सचिव, विधि और विधिक कार्य विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को अवगत कराएं कि वे सभी विधि अधिकारियों और मामलों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दें कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय में उपस्थित रहें और सरकारी अधिवक्ता को विभागों के स्तर पर लंबित पीड़ित व्यक्तियों के मामलों की प्रगति रिपोर्ट और परिणाम से अवगत कराते रहें। अब से, मामलों के प्रभारी अधिकारियों की ओर से उचित सहायता की कमी को गंभीरता से देखा जाएगा और यदि उनकी ओर से उचित सहायता की कमी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो इसे उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी माना जाएगा और दोषी अधिकारी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

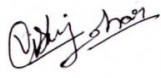
15. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति महाधिवक्ता; मुख्य सचिव; और प्रमुख विधि सचिव, विधि और विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार को इस आदेश की आवश्यक अनुपालना हेतु भेजे।

16. 10.03.2025 को सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढंड), जे

केयूडी/199

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़